भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1813
दिनांक 01 अगस्त, 2024

ऊर्जा सुरक्षा के लिए पहल

1813. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अन्वेषण, उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण और पर्यावरणीय चिंताओं में चुनौतियों का सामना करते हुए ऊर्जा सुरक्षा, स्थायित्व और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई व्यापक कार्यनीतियों और पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार भारत की ऊर्जा स्वालंबन और आर्थिक विकास में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को किए प्रकार बढ़ावा दे रही है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख) ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने के निमित्त सरकार ने एक बहुउद्देश्यीय कार्यनीति अपनाई है जिसमें तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण सम्बन्धी उपायों को बढ़ावा देना, माँग प्रतिस्थापन पर जोर देना, जैव ईंधन और अन्य वैकल्पिक ईंधनों/नवीकरणीयों को बढ़ावा देना, ईवी चार्जिंग सुविधाएँ और रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार करना शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने देश में जैवईंधनो की उपलब्धता बढ़ाने एवं एथेनॉल मिश्रण, जैव डीजल मिश्रण एवं किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) योजनाओं के माध्यम से एथेनॉल, जैव-डीजल और जैव-सीएनजी जैसे वैकल्पिक स्वच्छ ईंधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जैवईंधन नीति, 2018 की शुरूआत की है।

भारत सरकार ने आम नागरिकों को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर अप्रत्याशित कर, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए

सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर दो बार नवंबर 2021 और मई 2022 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमश: कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की, जिसका लाभ पूरी तरह से उपभोक्ताओं को दे दिया गया था। कुछ राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य वैट दरें कम कर दीं। मार्च, 2024 में, ओएमसीज ने भी पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की और दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का वर्तमान आरएसपी क्रमश: 94.72 रुपए और 87.62 रुपए प्रति लीटर है।

देश में एलपीजी के मूल्य, एलपीजी के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य निर्धारण हेतु बेंचमार्क सऊदी संविदा मूल्य (सीपी) पर आधारित होते हैं। भारत अपनी घरेलू एलपीजी खपत के 60% से अधिक का आयात करता है। सरकार उपभोक्ता हेतु घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य को लगातार घटाती-बढ़ाती रहती है। वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान, औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अन्तरराष्ट्रीय बेंचमार्क) 415 डॉलर प्रति एमटी से बढ़कर 712 डॉलर प्रति एमटी हो गया। तथापि, अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का भार पूरी तरह से ग्राहकों पर नहीं डाला गया था।

पहल योजना के तहत, घरेलू एलपीजी सिलिंडर गैर-राजसहायता प्राप्त मूल्य पर बेचे जाते हैं और उपभोक्ताओं को लागू राजसहायता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी जाती है। उपभोक्ताओं को बैंक खातों में सीधे राजसहायता के अलावा, ओएमसीज को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 22,000 करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया गया है, ताकि उच्च अन्तरराष्ट्रीय एलपीजी मूल्यों का बोझ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर न डालने के कारण उन्हें हुई अल्प वसूली की भरपाई की जा सके।

सरकार दिनाँक 21 मई, 2022 से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए एक वर्ष में अधिकतम 12 रिफिलों तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता प्रदान कर रही है। सरकार ने दिनाँक 30 अगस्त, 2023 से प्रभावी घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य में प्रति 14.2 कि.ग्रा. एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की कमी की है। इसके अलावा, सरकार ने दिनाँक 5 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के सभी लाभार्थियों के लिए निर्धारित राजसहायता बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर कर दी है। सरकार ने दिनाँक 9 मार्च, 2024 से प्रभावी घरेलू एलपीजी के आरएसपी में 100 रुपए प्रति 14.2 कि. ग्रा.सिलेंडर की और कमी की है। भारत में भोजन पकाने की गैस का मूल्य, कमी के अंतिम चक्र के बाद, विश्व में सबसे कम है और यह सभी एलपीजी उत्पादक राष्ट्रों में भी सबसे कम है।

इसके अलावा सरकार ने सीबीजी उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए संपीड़ित जैव-गैस (सीबीजी) मिश्रण बाध्यता (सीबीओ), बायोमास एग्रेगेशन मशीनरी सेट्स की अधिप्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता की योजना तथा सीबीजी संयंत्रों के लिए प्रत्यक्ष पाइपलाइन अवसंरचना की योजना की शुरूआत की है। सरकार ने पेट्रो रसायन रूट तथा अन्य फीड स्टॉक्स सहित सेल्युलॉसिक तथा लिग्नोसेल्युलॉसिक बॉयोमास का इस्तेमाल करने वाले 2जी जैव-एथेनॉल संयंत्र की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में दूसरी पीढ़ी (2जी) जैव एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने के लिए 'प्रधानमंत्री जी-वन' (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना' अधिसूचित की है। सरकार ने उन परियोजनाओं को भी मदद प्रदान की है जिनमें अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन शामिल हैं। इनमें से कुछ परियोजनाएं उन्नत जैव ईंधनों, हाइड्रोजन ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों, हाइड्रोजन स्पाइक्ड कम्प्रैस्ड नेचुरल गैस (एच-सीएनजी) प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक परिवहन बसों आदि से संबंधित प्रदर्शन परियाजनाएं हैं। इसके अलावा, सरकार ने लंबी दूरी के परिवहन में एलएनजी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों, गोल्डन क्वेड्रीलेटरल्स आदि पर एलएनजी स्टेशन स्थापित करने को भी बढ़ावा दिया है।

जैवईंधनों को तेजी से अपनाने और उपयोग के निमित्त वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करने के निमित्त 19 देशों और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के समर्थन से नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के साथ वैश्विक जैवईंधन गठबंधन (जीबीए) की शुरूआत दिनाँक 9 सितम्बर, 2023 को की गई थी। इस पहल का लक्ष्य जैवईंधन को ऊर्जा बदलाव के लिए महत्वपूर्ण स्थिति में लाना है। जीबीए द्वारा प्रौद्योगिकी और उपकरण का निर्यात करने, रोजगार सृजित करने एवं कौशल विकास करने के रूप में भारतीय उद्योगों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की संभावना है।

****